"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2006—आश्विन 24, शक 1928

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-46/दो/आठ-परि/2002.—मोटर यान अधिनियम 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 68 की उप-धारा (1) एवं (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. के. शुक्ल, उप-सचिव, परिवहन विभाग को संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा 9 के अंतर्गत पर्यटक अनुज्ञापत्र को छोड़कर सभी प्रकार के परिवहन यानों के अनुज्ञापत्र हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाई. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 5-46/दो/आठ-परि/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 16-10-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाई. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

Raipur, the 16th October, 2006

NOTIFICATION

No. F 5-46/Two/Eight-Trans./2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 68 of the Motor Vehicle Act 1988 (No. 59 of 1988), the State Government of Chhattisgarh appoint Shri N. K. Shukla. Deputy Secretary, Transport as Regional Transport Authority for the whole Chhattisgarh area for the permit of all types of transport vehicle, except the Tourist permit under sub-section 9 of section 88 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
Y. K. S. THAKUR, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.